न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/2017

1. पंजाबकौर विधवा गुरचरणसिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. अमरजीसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ——**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. रामकिशन पुत्र भागसिंह जाति बावरी निवासी 7 के डी ए तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
2. हाकमसिंह } पिसरान भागसिंह जाति बावरी नि0 62 एफ तहसील
3. प्रतापसिंह } श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

—— **रेस्पोडेन्टान**

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, श्रीकरणपुर
दिनांक 06.03.2017

उपस्थिति

श्री शिवप्रकाश कालडा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जीतपालसिंह सैनी, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 26.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/ प्रार्थीगण / अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि भागसिंह के नाम से चक 62 एफ के खाता संख्या

26/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

52/60 मु.न. 9 में 0.554 है. 10 में 1.214 है. खाता सं0 96/99 मु0न0 39 में 3.162 है. भूमि खातेदारी है । भागसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो चुका है एवं आपसी सहमति से बंटवरा कर लिया है। सभी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी स0 1 से 3 प्रार्थीगण के विधवापन व उसके पुत्र का नाबालिग होने का अनुचित लाभ उठाकर प्रार्थीया की भूमि में दखल अन्दाजी करने लगें है । यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण के वाद का औचित्य समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्ताक्षेप नहीं करे तथा मौका की यथास्थिति कायम रखी जावे ।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया किसी प्रकार से आपसी बंटवारा नहीं हुआ । भागसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान का हक व हिस्सा बनता है। जिसका विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए गुरचरणसिंह के 1/7 हिस्से की सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

26/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का कब्जा 5 बीघा भूमि पर चला आ रहा है जिसके सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी किन्तु अधी. न्यायालय ने 1/7 हिस्से की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रा.पत्र में वर्णित अनुतोष के अनुसार अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ हैं अपीलांट का 1/7 हिस्सा बनता है जिसके सम्बन्ध में अधी.न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है उससे ज्यादा प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आरआरटी 2015(1) पेज 567, 633, 2017(1) पेज 275 की नजीरे पेश की और अपील खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण का कथन है कि आपसी बंटवारा हो चुका है एवं उसी अनुसार पक्षकार अपनी – अपनी भूमि पर काबिज है। बंटवारानामा से किस पक्षकार को कौनसी भूमि मिलनी है इसका निर्णय तो मूल वाद में तय होगा। इस स्तर पर बंटवारानामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन होना नहीं पाया जाता है। अधी. न्यायालय ने प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण के 1/7 हिस्से की सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है इससे ज्यादा भूमि अपीलांट की हो ऐसा अपीलांट ने कथन नहीं किया हैं । ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आंशिक

26/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रूप से स्वीकार कर जो 1/7 हिस्से की सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है । उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत होना नहीं पाई जाती है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर